

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-4) विभाग

क्रमांक : प.2(49)कार्मिक/क-4/08

जयपुर, दिनांक

10 AUG 2016

आज्ञा

श्री रामचन्द्र पोटलिया, आर.ए.एस., उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ, श्रीगंगानगर अपने कर्तव्य से स्वैच्छा से अनुपस्थित रहने को राज्य सरकार द्वारा गंभीरता से लिया है ।

अतः राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-13 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा श्री रामचन्द्र पोटलिया, आर.ए.एस., उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ, श्रीगंगानगर को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है । निलम्बन काल में इनका मुख्यालय कार्यालय शासन सचिव, कार्मिक विभाग, जयपुर रहेगा ।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,


(अभिमन्यु कुमार)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर ।
2. सचिव (प्रथम/द्वितीय) मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर ।
3. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव समस्त मंत्री/राज्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर ।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर ।
5. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव ।
6. वरिष्ठ शासन उप सचिव कार्मिक (क-3/जांच) विभाग ।
7. शासन उप सचिव कार्मिक (क-3/शिकायत) विभाग ।
8. संभागीय आयुक्त, बीकानेर ।
9. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर ।
10. जिला कलक्टर, बीकानेर को प्रेषित कर लेख है कि श्री रामचन्द्र पोटलिया, आर.ए.एस., को उनके निवास पते- ए-9, ग्रीन पार्क, जयपुर रोड, बीकानेर पर तामील कराकर तामिली सूचना मूल ही इस विभाग को भिजवाये ।
11. वित्तीय सलाहकार, शासन सचिवालय, जयपुर ।
12. श्री रामचन्द्र पोटलिया, आर.ए.एस., उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ, श्रीगंगानगर को निर्देशित किया जाता है कि वे कार्यालय, शासन सचिव, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर में रखी गई उपस्थिति पंजिका में उपस्थिति करेंगे तथा बिना अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। इन्हें नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा ।
13. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उपनिदेशक), कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग ।
14. रक्षित पत्रावली ।


संयुक्त शासन सचिव